

# NESTLÉ INDIA LIMITED

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

Regd. Office: 100 / 101, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi-110 001

Email: investor@in.nestle.com; Website: www.nestle.in; Ph: 011-23418891

## FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

### Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the Demat Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 read with the relevant circulars and amendments thereto ('IEPF Rules'), that the shareholders concerned are being informed by the Company regarding transfer of their shares to the Demat Account of IEPF Authority in accordance with the IEPF Rules, in case they do not encash any of their dividend(s), which remains unpaid/unclaimed for last seven consecutive years, by the next due date of transfer i.e. 15<sup>th</sup> June 2023. The details of such shareholders including their name and folio number or DP-Client ID number are available on the Investors Section of the Company's website [www.nestle.in](http://www.nestle.in).

For the shares/dividends already transferred to IEPF Authority, the shareholders can claim such shares/dividends by making an online application to the IEPF Authority in Form IEPF-5, as prescribed under the IEPF Rules and the same is available along with all details at IEPF website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in).

Date: 11-03-2023

Place: Gurugram

For NESTLÉ INDIA LIMITED

Pramod Kumar Rai

Company Secretary

**FINANCIAL EXPRESS**  
READ TO LEAD

Sun, 12 March 2023

<https://epaper.financialexpress.com/c/7190594>



# नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786)

पंजीकृत कार्यालय: 100 / 101, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001 ई-मेल: investor@in.nestle.com

वेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891

## (कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण हेतु)

### विषय: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 और इनके सम्बद्ध परिपत्रों एवं संशोधनों ("आईईपीएफ नियम") के प्रावधानों के अनुसार प्रकाशित की जाती है कि सम्बद्ध शेयरधारकों को उनके शेयरों का, आईईपीएफ नियमों के अनुसार, आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के विषय में कम्पनी के द्वारा सूचित किया जा रहा है, यदि ये शेयरधारक अपने ऐसे किसी लाभांश(शों) का नकदीकरण नहीं करते हैं जो कि अंतरण की अगली नियत तिथि 15 जून 2023 तक लगातार सात वर्षों से अप्रदत्त / दावारहित रहते हैं। नाम तथा फोलियो नम्बर अथवा डीपी-क्लाइंट आईडी संख्या सहित ऐसे शेयरधारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट [www.nestle.in](http://www.nestle.in) के Investors Section पर उपलब्ध है।

आईईपीएफ प्राधिकरण को पहले से हस्तांतरित किए गए शेयरों / लाभांशों के लिए, शेयरधारक आईईपीएफ नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके ऐसे शेयरों / लाभांशों का दावा कर सकते हैं और यह आईईपीएफ वेबसाइट [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) पर सभी विवरणों के साथ उपलब्ध है।

कृते नेस्ले इण्डिया लिमिटेड

प्रमोद कुमार राय

कम्पनी सचिव

दिनांक : 11.03.2023

स्थान : गुरुग्राम

**जनसत्ता**

Sun, 12 March 2023

<https://epaper.jansatta.com/c/71905962>

